

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 369

दिनांक - 01.02.18

प्रार्थी  
1 भंवरसिंह पुत्र पर्वतसिंह  
जाति राजपूत निवासी मीठड़ा  
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम


विप्रार्थीगण


1 कुम्पसिंह पुत्र पर्वतसिंह 2 रायसिंह 4 चण्णसिंह  
5 प्रागसिंह 6 गोमसिंह पिसरान कालूसिंह 7  
सुरतान सिंह पुत्र जगमालसिंह 8 मेघसिंह पुत्र  
दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा 9  
अर्जुनसिंह 10 नीम्बसिंह पिसरान जवाहरसिंह  
जाति राजपूत निवासी महाबार 11 हीरसिंह पुत्र  
जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर  
12 पेमाराम पुत्र जलालराम जाति भील निवासी  
मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 1316/2017 दिनांक- 31.01.18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हाडाला सुथारों का तला पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1388 रकबा 5.15 बीघा व खसरा संख्या 2142/1363  
रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने  
से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित  
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी  
की जावे कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित  
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 01.02.18

क्रमांक :- रीडर/2018/ 370-73

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मीठड़ा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भंवरसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्पसिंह पुत्र पर्वतसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर